

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/28/2024

दिनांक- 03/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 28 / 2024 अनवान कंचन देवी पत्नी किशनलाल मीणा निवासी जगन्नाथपुरा ब्रह्म गोपाल पिता कल्याण बेरवा निवासी जगन्नाथपुरा, रामपाल पिता मांगीलाल मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, कमलेश देवी पत्नी ओमप्रकाश मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, सुशीला पत्नी छोटू मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, रामपाल पिता मगना मीणा निवासी ओडियो खेड़ा, कैलाश पुत्री जगन्नाथ मीणा निवासी ओडियो खेड़ा, खेमराज पिता जगदीश मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, दुर्गा लाल पिता नन्दा मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, मायाराम पिता जगदीश मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, रामचंद्र पिता कजोड़ मीणा निवासी ओडियो खेड़ा, सोहनी पत्नी लादू मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, तहसीलदार जहाजपुर तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने बाबत

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम जगन्नाथपुरा प.ह. भरणीकला आराजी सं. 284/2 कुल किता 01 रकबा 0.3885 हेक्टेयर व ग्राम ओडिया खेड़ा प.ह. भरणीकला आराजी सं. 398, 399/1, 400, 401 कुल किता 04 रकबा 0.9632 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक रोपा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा

# फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कचन देवी पत्नी किशनलाल मीणा निवासी जगन्नाथपुरा

बनाम

गोपाल पिता कल्याण बेरवा निवासी जगन्नाथपुरा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 28 /2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
03-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ   प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया   प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम जगन्नाथपुरा प.ह. भरणीकला आराजी सं. 284/2 कुल कित्ता 01 रकबा 0.3885 हेक्टेयर व ग्राम ओड़िया खेड़ा प.ह. भरणीकला आराजी सं. 398, 399/1, 400, 401 कुल कित्ता 04 रकबा 0.9632 हेक्टेयर भूमि स्थित है   अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी है   अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें   प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है  </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी   पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है   प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है   ग्राम जगन्नाथपुरा प.ह. भरणीकला आराजी सं. 284/2 कुल कित्ता 01 रकबा 0.3885 हेक्टेयर व ग्राम ओड़िया खेड़ा प.ह. भरणीकला आराजी सं. 398, 399/1, 400, 401 कुल कित्ता 04 रकबा 0.9632 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक रोपा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है   कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे   पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें   पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें   तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं   पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें  </p> <p>आदेश आज दिनांक 03/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (शाहपुरा)